

प्रेस-विज्ञप्ति
जनपद कानपुर देहात।

दिनांक:- 29.08.2021

थाना शिवली

दिनांक 28.08.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0 393/21 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में वाछिंत अभियुक्त रामकिशोर उर्फ राजकुमार को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना अकबरपुर

दिनांक 28.08.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग मु0अ0सं0 628/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त छोटेलाल को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

धारा 151 दं0प्र0सं0

दिनांक 29.08.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा थाना डेरापुर 01, देवराहट 02, रूरा 01, रसूलाबाद 01, शिवली 02, सिंकदरा 04, अकबरपुर 05, भोगनीपुर 01, अभियुक्तों को धारा 151 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।